प्रेस नोट
साइबर जागरूकता अभियान
दिनांक 16.01.2025

ऑपरेशन ''साइबर कवच'' के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा एम्स इण्टर कालेज के छात्र/छात्राओं को साइबर अपराध से बचाव हेतु किया गया जागरूक–

साइबर अपराध को इंटरनेट और कंप्यूटर के अवैध उपयोग के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है। तकनीकी के विकास के चलते अपराधी भी अपराध करने के नये–नये तरीके इजाद कर रहे है। आजकल प्रत्येक व्यक्ति मोबाइल व इण्टरनेट बैकिंग का प्रयोग कर रहा है। इंटरनेट के प्रयोग किये जाने से जानकारी के अभाव में कई लोग साइबर अपराध का शिकार हो जाते हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपद गोण्डा में आमजन को साइबर अपराध से बचाव एवं इससे निपटने के लिये बरती जाने वाली सावधानियों के प्रचार प्रसार हेतु जनपद में ऑपरेशन ''साइबर कवच'' अभियान की शुरूआत की गई है। यह ऑपरेशन दिनांक 27.11.2024 से चलाया जा रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत जनपद जनपदीय पुलिस द्वारा प्रतिदिन विद्यालयों, प्रतिष्ठित संस्थाओं एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर वर्कशॉप एवं गोष्ठियां कर इंटरनेट के माध्यम से हो रहे इन अपराधों के बारे में जानकारी दे रहे है और इंटरनेट के प्रयोग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में पम्पलेट वितरित कर महत्वपूर्ण स्थानों पर पम्पलेट/पोस्टर चस्पा किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

आज दिनांक 16.01.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा एम्स इण्टर कालेज में छात्र–छात्राओं एवं स्कूल के स्टाफ के साथ वर्कशाप का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा महोदय को स्मृति चिन्ह एवं शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान वर्कशाप में अमर उजाला के सम्पादक श्री नन्दलाल तिवारी, जनपदीय साइबर सेल व स्कूल के छात्र व स्टाफ आदि सहित करीब 200 छात्र व अध्यापक मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उपस्थित सभी लोगों को साइबर अपराध की जानकारी दी गयी और बताया कि इंटरनेट के उपयोग की सही जानकारी होने पर साइबर अपराध से बचा जा सकता है। इसी क्रम में एटीएम में ट्रांजेक्सन करते समय अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित न रहे, बैंक के नाम पर टेलीफोन कॉल पर एटीएम/बैंक अकाउंट्स सम्बन्धी कोई जानकारी जैसे ओटीपी, सीसीवी नम्बर आदि कभी भी किसी से साझा न करे। बीमा कम्पनी, नौकरी.कॉम के नाम से कॉल किये जाने पर बिना सत्यापन किये कोई जानकारी न दे। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप, ट्विटर(एक्स), फेसबुक व इंस्टाग्राम पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक न करें क्योंकि कोई भी व्यक्ति आसानी से आपकी जानकारी का इस्तेमाल कर दुरूपयोग कर सकता है। इस प्रकार के एप्स डाउनलोड किये जाते समय प्राईवेसी सम्बन्धी आप्शन का भली–भांति अवलोकन करने के बाद ही सहमती/असहमती देते हुए प्रक्रिया पूर्ण करें। फर्जी लॉटरी लगने का कॉल करने वालों को कभी अपनी बैंक की डिटेल शेयर न करें। डिजिटल अरेस्ट से बचाव हेतु बताया गया कि किसी भी अनजान कॉल/मैसेज पर प्रतिक्रिया न दें, टावर लगाने के नाम पर भी लोगों से ठगी की जाती है, इससे बचने हेतु

किसी अज्ञात बैंक खाता में पैसा जमा न करें। कोई कम्पनी कम लागत में अधिक पैसे कमाने का लालच देती है तो सावधान रहिये ऐसी कंपनी फर्जी होती हैं जो आपका पैसा लेकर कंपनी को बंद कर भाग जाते हैं। ठगों द्वारा फर्जी ऑफिस खोलकर, कम ब्याज दर पर अधिक लोन, बिना किसी कागज के आसानी से लोन दिलवाने हेतु फर्जी विज्ञापन प्रसारित किया जाता है और प्रोसेसिंग फीस के रुप में एकाउंट में रुपये जमा कराके फरार हो जाते है। मोबाइल व सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के सुरक्षित प्रयोग के बारे में भी बताया गया। छोटी–छोटी बातों को ध्यान में रखकर इंटरनेट प्रयोग किये जाने पर साइबर अपराध के शिकार होने से बचा जा सकता है। जागरूक बनें और अपने धन की स्वयं सुरक्षा करने के सिद्वान्त पर काम करें। अन्त में पुलिस अधीक्षक गोण्डा ने सभी छात्र–छात्राओं व स्कूल के स्टाफ से अपेक्षा की कि वर्कशॉप में दी गई जानकारी को अपने परिवार, आस–पड़ोस में अधिक से अधिक लोगों को बतायें जिससे की कोई भी व्यक्ति जानकारी के आभाव में साइबर अपराधियों का शिकार न हो। इसी दौरान वर्कशाप में उपस्थित स्कूल के छात्र व स्टाफ को पम्पलेट वितरित किये गये तथा स्कूल के अन्य छात्रों को जागरुक करने हेतु पोस्टर एवं बुकलेट उपलब्ध करायी गयी।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 16.01.2025</u>

<u>ऑपरेशन साइबर कवच के दृष्टिगत जनपदीय साइबर सेल द्वारा पीडितों की फ्रॉड गयी 60,900/– रूपये कराए गए वापस, पैसे वापस मिलने पर पीड़ितों के चेहरे पर लौटी मुस्कान, पीड़ितों ने गोण्डा पुलिस को किया धन्यवादः–</u>
जनपद गोण्डा में साइबर फ्रॉड अपराध की रोकथाम के संबंध में त्वरित कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के मार्गदर्शन में जनपदीय साइबर सेल टीम द्वारा पीड़ितों के फ्रॉड गयी धनराशि को सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए धनराशि **<u>60,900/–</u>**
(साठ हजार नौ सव) पीड़ितों के खाते में वापस करायी गयी।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण–</u>
आवेदक सुहेल अहमद नि0 सिसवरिया थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा, जहीर अहमद नि0 थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा द्वारा फ्राड कॉल पर विश्वास करके रूपए ट्रांसफर कर दिए गए थे। साइबर फ्रॉड ठगी के उपरान्त आवेदकों द्वारा इसकी शिकायत जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक गोण्डा के समक्ष की गयी थी। जिस पर साइबर सेल द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए पीड़ितों के 60,900/– रू0 की धनराशि वापस करायी गयी। पीड़ितों द्वारा अपने रूपये वापस पाकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय व साइबर सेल टीम को धन्यवाद दिया गया।

नोट– साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल 1930 पर सूचना अंकित कराये, सूचना विलम्ब से देने पर साइबर अपराधियों द्वारा धन निकाल लिया जाता है। धन निकलने के उपरान्त पैसे वापस होने की सम्भावना बहुत कम होती है। लोगो को साइबर ठगों से सावधान रहने की जरुरत है। किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओ0टी0पी0, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें। फ्रॉड ट्रांजेक्सन होने पर तत्काल अपने बैंक एवं थाना पर गठित साइबर सेल को सूचना दें एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल शिकायत दर्ज कराएँ।

<u>साइबर सुरक्षा टिप्स–</u>
01. ऑनलाइन लेन–देन में सावधानी बरतें
02. किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें।
03. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।
04. अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें।
05. अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें।
06. ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षित वेबसाइट्स का उपयोग करें।
07. पासवर्ड को मजबूत और गुप्त रखें।
08. ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखें।
09. साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें।
10. ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में कंपनी प्रबंधन और पुलिस को सूचित करें

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 16.01.2025

थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा जहरखुरानी कर चोरी की घटना को अंजाम देने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री सौरभ कुमार वर्मा के नेतृत्व में थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–395/23, धारा 328,379 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त–01. अजीत कुमार उर्फ नंगू पुत्र दुर्गा प्रसाद गोस्वामी नि0 ग्राम पांचूपुर जोरिया थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा को बनगांव पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
आज दिनांक 16.01.2025 को थाना कटराबाजार के उ0नि0 पवन कुमार सिंह मय हमराह शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर जहरखुरानी कर चोरी की घटना को अंजाम देने के वांछित अभियुक्त अजीत कुमार उर्फ को बनगांव पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा अपने साथी अभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 13.06.2023 को कार चालक धनंजय मिश्रा को भभुवा क्रासिंग के पास कोल्डड्रिंग में नशीला पदार्थ पिलाकर उनकी स्विफ्ट डिजायर कार लेकर फरार हो गए थे। जिसके सम्बन्ध में पीड़ित के जीजा आशीष तिवारी पुत्र विनोद तिवारी नि0 जानकीपुरम लखनऊ की तहरीर पर थाना कटराबाजार में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01.अजीत कुमार उर्फ नंगू पुत्र दुर्गा प्रसाद गोस्वामी नि0 ग्राम पांचूपुर जोरिया थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–395/23, धारा 328,379,411 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 पवन कुमार सिंह।
02. का0 चन्द्रपाल।

मीडिया सेल, गोण्डा।